संख्या–139 / 14–2–2018–800(198) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 16 फरवरी **2018**

विषयः– बदायूं में चन्दौसी–बदायूं मार्ग एस0एच0–43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06776हे0 (संषोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 10 / 2017 / एफसी / 639, दिनांक 24–11–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को चिन्हित कर मूल टोपोषीट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 11–01–2017 के द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रमाण पत्र षासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक .11–01–2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–139(1) / 14–2–2018–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।